फैसले करने वाले ही उस पर कायम नहीं रहे तो फिर वो हमसे क्या उम्मीद करें?

नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने हाईकमान से किया सवाल

जयपुर, (का.प्र.)। कांग्रेस में दो-चार दिन की शांति के बाद में कहीं ना कहीं किसी नेता की ओर से ऐसा बयान सामने आ जाता है, जिससे पार्टी में अंतर्द्वंद नजर आने लगता है। राज्य के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने शनिवार को कोटा में कांग्रेस की कार्यशाला में एक बयान के जरिए सीधे आलाकमान पर ही निशाना साध दिया। उनका यह बयान दो बार हारने वालों के टिकट काटने वाले फार्मूले को लेकर सामने आया। इस बयान के जरिए उन्होंने ना सिर्फ आलाकमान पर निशाना साधा, बल्कि साथी मंत्री डॉ बी डी कल्ला को भी निशाने पर लिया।

कोटा में हुई कांग्रेस की एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान राजस्थान सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पार्टी फार्मूले पर सवाल उठाया और हाईकमान पर निशाना साधते हुए कहा कि फैसले करने वाले ही उस पर कायम नहीं रहे तो फिर वो हमसे क्या उम्मीद करे? धारीवाल ने शहर कांग्रेस की जिलास्तरीय कार्यशाला में उदयपुर नव संकल्प घोषणापत्र के क्रियान्वयन पर चर्चा के दौरान दो बार हारे नेताओं को तीसरी बार टिकट नहीं देने पर अपनी बात कह रहे थे।

■ **कहा ''दो बार हारने वालों के टिकट काटने के फार्मूले पर कायम नहीं हैं''**

अपनी बात रखते हुए शांति धारीवाल ने कहा कि इन सब बातों को देखना पड़ेगा। इस तरीके के फैसले कभी होते नहीं है। पहले भी पाबंदी लगा थी कि 2 बार हारे व्यक्ति को तीसरी बार टिकट नहीं देंगे। कई लोगों को टिकट नहीं दिए, लेकिन बीकानेर की नौबत आई तो बीडी कल्ला जी दो बार हारे हुए थे। उन्हें तीसरी बार टिकट दे दिया। फिर उन्हें क्यों दे दिया? दूसरे को क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि इन चीजों पर फैसला होना चाहिए। अगर आप पाबंदी नहीं रखोगे, तो हम से क्या उम्मीद करोगे।

उल्लेखनीय है कि इस कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कैबिनेट की बैठकों में कई बार मंत्री आपस में भिड़े हैं और पिछली कैबिनेट की बैठक के दौरान ही नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के साथ ही मंत्री भजनलाल ने भी डॉ बी डी कल्ला पर सवाल उठाए थे। धारीवाल ने शिक्षा विभाग में आरएसएस से जुड़े कर्मचारियों और शिक्षकों के एक ही जगह लंबे समय से जमे रहने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में आरएसएस बैकग्राउंड के कर्मचारियों को प्राइम जगहों पर लगाया हुआ है। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई जनसुनवाई में भी धारीवाल ने कहा था कि आरएसएस से जुड़े कर्मचारियों को प्राइम जगहों से हटाना चाहिए।

छेड़छाड़ के अभियुक्त को सजा

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ आए दिन छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त निक्कू उर्फ आयुष को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अब पूर्व न्यायाधीश करेंगे चेक अनादरण के मुकदमों का फैसला

जयपुर, (का.सं.)। चेक अनादरण के मामलों की सुनवाई अब संविदा पर लगे पूर्व न्यायाधीश करेंगे। फिलहाल प्रदेश की पांच जजशिप में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। खास बात यह है कि इन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश और रिटायर कर्मचारी होंगे। पीठासीन अधिकारी को जहां मासिक एक लाख रुपए का मानदेय दिया जाएगा, वहीं कोर्ट स्टाफ को चौबीस हजार रुपए से लेकर पैंतीस हजार रुपए का मानदेय मिलेगा।

राजस्थान न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी की चेक अनादरण की विशेष अदालत में पीठासीन अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के बाद राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। इसके लिए हाईकोर्ट की वेबसाइट पर आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें 64 साल तक की उम्र वाले पूर्व न्यायाधीश आवेदन करेंगे। वहीं कोर्ट स्टाफ के मामले में कर्मचारी की उम्र 65 साल रखी गई है।

■ **खास बात यह है कि इन न्यायालयों में सभी कर्मचारी रिटायर कार्मिक**

बढ़ते मुकदमों को कम करने की कवायद

प्रदेश सहित देशभर में चेक अनादरण के मुकदमों की संख्या तेजी से बढ रही है। बताया जा रहा है कि देश की विभिन्न अदालतों में करीब तीस लाख से अधिक चेक अनादरण के मामले लंबित हैं। इनके त्वरित निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को निर्देश दिए थे कि वे अपने हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के जिला न्यायालय में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विशेष न्यायालय स्थापित करें और इनमें पूर्व न्यायिक अधिकारियों और कोर्ट स्टाफ को नियुक्त करें। इसके तहत हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इसकी अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित कराया गया है।

नियुक्ति से पहले विशेष प्रशिक्षण

पूर्व न्यायाधीशों को इन अदालतों में नियुक्ति देने से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राज्य न्यायिक अकादमी की ओर से इन्हें चार सप्ताह की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसमें एनआई कोर्ट की प्रक्रिया और साक्ष्य आदि के बारे में बताया जाएगा।

समन तामील हो चुके मुकदमों को ही सुनेगी

जानकारी के अनुसार इन अदालतों में उन्हीं मामलों को भेजा जाएगा, जिसमें विधिवत रूप से आरोपी पक्ष पर समन की तामील हो चुकी है और आरोपी या उसका वकील अदालत में पेश हो रहा है।

विशेष न्यायालय फिर भी लाखों लंबित मुकदमे

गौरतलब है कि चेक अनादरण के लंबित मुकदमों की संख्या लाखों में होने के चलते इन विशेष अदालतों में भी मुकदमें तय होने में कई साल लग रहे हैं।

जयपुर में अभी भी अच्छी बारिस नहीं होने से लोग गर्मी से परेशान हैं। शायद ये सूखा पेड़ आसमान में बादल छाने पर यही पुकार कर रहा होगा कि बरसो रे मेघा अब तो बरसो। फोटो : दिनेश भारद्वाज

कोयला खनन मामले में गतिरोध दूर नहीं होना राज्य सरकार की नाकामी है : राठौड़

जयपुर। उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब ऊर्जा मंत्री द्वारा राजस्थान को ब्लैक आउट से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से तत्काल कोयला खनन शुरू करने के लिए बार-बार मिन्नतें करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि राजस्थान व छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस शासित सरकारें हैं, इसके बावजूद कोयला खनन को लेकर गतिरोध का अब तक समाधान नहीं होना राज्य सरकार की नाकामी व घोर विफलता है।

राठौड़ ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ करने के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ घंटों-घंटों साथ रहे, अगर उस समय थोड़ा सा समय निकालकर अशोक गहलोत राजस्थान में जारी कोयला संकट को लेकर उनसे बात कर लेते तो आज प्रदेश में कोयला संकट के कारण विद्युत आपूर्ति ठप्प नहीं होती। राठौड़ ने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद इस मामले का समाधान नहीं हो पाया जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पारसा कोल ब्लॉक में खनन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शिकायत भी कर चुके हैं। उसके बावजूद भी समाधान नहीं होने के कारण आज एक बार फिर से प्रदेश में राजस्थान में कोयले का अभूतपूर्व संकट आ गया है।

■ **'इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद इस मामले का समाधान नहीं हो पाया जबकि मुख्यमंत्री गहलोत पारसा कोल ब्लॉक में खनन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शिकायत भी कर चुके हैं'**

राठौड़ ने कहा कि विगत 25 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रायपुर पहुंचकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर राजस्थान में कोयले की कमी से उत्पन्न बिजली संकट तथा छत्तीसगढ़ में आवंटित पारसा कोल ब्लॉक खान से कोयला खनन की स्वीकृति जारी करने के बारे में चर्चा कर खनन करने की सहमति व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री को अब स्पष्ट करना चाहिये कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ परसा कोल ब्लॉक में खनन स्वीकृति देने की सहमति का क्या हुआ? छत्तीसगढ़ के पारसा में राजस्थान के हिस्से की माइंस आवंटित है। केन्द्र सरकार ने पहले ही इस माइंस के लिए एन्वार्यमेंट क्लीयरेंस जारी कर दी थी, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार की हठधर्मिता के कारण कोयला खनन की स्वीकृति जारी नहीं करवा पाना राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता व विफलता को दर्शा रहा है, वो भी तब जब वहां पर कांग्रेस की ही सरकार है।

सरपंच के निलंबन आदेश पर रोक, मंत्री और विधायक से मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के गत आठ जून के उस आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है, जिसके तहत दौसा के मंडावर सरपंच को निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ ही अदालत ने पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा और विधायक ओमप्रकाश हुडला को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश सरिता नारेडा की याचिका पर दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि निलंबन आदेश में यह नहीं बताया गया कि याचिकाकर्ता की आज्ञा से दुकानों को कब तोड़ा गया और ना ही प्रारंभिक जांच पूरी होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा प्रथम दृष्टया लगता है कि निलंबन आदेश में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं हुई है।

याचिका में कहा गया कि गत आठ जून को उसे बिना प्रारंभिक जांच किए निलंबित कर दिया गया। जबकि पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी भी तरह का आदेश पारित करने से पहले मामले की प्रारंभिक जांच होना जरूरी है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने बिना राज्य सरकार की अनुमति के कुछ दुकानों के निर्माण तोड़े हैं। जबकि मौके पर दुकानों का निर्माण मौजूद है। याचिका में यह भी कहा गया कि मंत्री रमेश मीणा और विधायक ओमप्रकाश हुडला के निर्देश पर उसे बिना कारण निलंबित किया गया है। ऐसे में निलंबन आदेश पर रोक लगाई जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में प्रारंभिक जांच की गई थी। जो कि गत छह अप्रैल को पूरी हुई थी। नियमानुसार प्रारंभिक जांच के बाद याचिकाकर्ता को चार्जशीट भी दी गई थी।

अग्निपथ योजना के विरोध में राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव पास किया

जयपुर, (का.प्र.)। अग्निपथ योजना के विरोध में अशोक गहलोत कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है। मंत्री प्रताप सिंह ने बताया कि अग्निपथ को वापस लेने के लिए मीटिंग में प्रस्ताव पास किया गया है। इधर इस योजना के विरोध में कांग्रेस कल जयपुर में तिरंगा यात्रा निकालेगी, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे।

इधर अग्निपथ योजना के विरोध में राजस्थान में भी कई जगह युवाओं ने प्रदर्शन किया और पथराव भी हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी झड़प हुई। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, अजमेर अलवर सहित छह जिलों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपुर शहर में बेनाड़ रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई है। वहीं, भरतपुर में रोडवेज बसें रोक दी गईं। बिहार में उग्र प्रदर्शन के कारण कोटा-पटना एक्सप्रेस भी कैंसिल हो गई है। इधर कोटा में कलेक्टर हरिमोहन मीना ने जिले में एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी है। आदेश के तहत रविवार सुबह 6 बजे से 18 जुलाई रात 12 बजे तक जिले में धारा 144 प्रभावी रहेगी।

■ **जयपुर में कांग्रेस निकालेगी तिरंगा यात्राएं**

इधर जयपुर में राजस्थान कैबिनेट की बैठक में अग्नि पथ योजना के विरोध में प्रस्ताव पास किया गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना को वापस लेने के लिए गए प्रस्ताव की जानकारी के संबंध में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसी किसी भी योजना लाने से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा करनी चाहिए थी। मंत्रिपरिषद् में चर्चा की गई है कि सैन्य विशेषज्ञों का मत है कि इस योजना से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाएगा।

इधर जयपुर में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश है और कांग्रेस भी इस योजना को लेकर युवाओं के साथ है। उन्होंने कहा कि युवाओं को योजना का विरोध करना चाहिए, लेकिन साथ ही कांग्रेस की यह भी अपील करती है कि युवा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेना में प्रयोग के तौर पर शुरू की गई इस योजना का विरोध करते हुए युवाओं के समर्थन में जयपुर में सभी विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा ही निकालेगी और रविवार को जयपुर में निकलने वाली तिरंगा यात्रा में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे।

विकास अधिकारियों को एपीओ करने के आदेश पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से दूसरे विभाग के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत विकास अधिकारियों की सेवाएं मूल विभाग को लौटाने संबंधी आदेश को निरस्त करने और नियमित पदस्थापित विकास अधिकारियों को एपीओ करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख पंचायती राज सचिव और प्रमुख कार्मिक सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस सुदेश बंसल की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश रघुवीर सिंह व अन्य की याचिका पर दिए।

करोना संक्रमण से सीकर में एक रोगी की मौत

जयपुर (कासं)। राजस्थान में कोविड संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है। शनिवार को 123 नये संक्रमित मरीज सामने आये, जबकि सीकर में एक रोगी की मौत भी हुई।

चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 39 नये मामले बढ़े है। शनिवार को सबसे ज्यादा 64 मरीज जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा अलवर व बीकानेर में 12-12, जोधपुर में 9, अजमेर में 7, उदयपुर में 6, नागौर में 4, सीकर, झालावाड़ और सिरोही में 2-2 तथा बारां, चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर में एक-एक नया मरीज सामने आया है। जबकि राज्य के शेष 20 जिलों में शनिवार को कोई नया संक्रमित नहीं मिला। राज्य में फिलहाल 669 एक्टिव केस हैं, इनमें से सर्वाधिक 317 सक्रिय मरीज जयपुर जिले में है।

इसके अलावा अलवर जिले में 60, बीकानेर में 57, अजमेर में 41, जोधपुर में 34, उदयपुर में 27, चुरु में 24, नागौर में 22, दौसा में 21 और अन्य कई जिलों में इससे कम सक्रिय मरीज है, जबकि 7 जिलों करोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है।

■ **राज्य में शनिवार को 123 नये मरीज सामने आए**

■ **प्रदेश में फिलहाल 669 एक्टिव केस, इनमें से सर्वाधिक 317 जयपुर जिले में हैं।**

जयपुर के वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बने सक्षम रावल

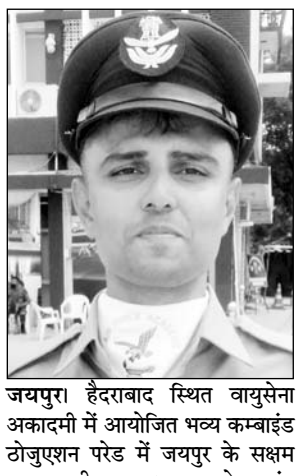

जयपुर। हैदराबाद स्थित वायुसेना अकादमी में आयोजित भव्य कम्बाइंड ठोजुएशन परेड में जयपुर के सक्षम रावल कमीशन्ड हुए। सक्षम को फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक प्रदान की गई, वायु सेना की यह रैंक थल सेना के लेफ्टिनेंट के समकक्ष है। समारोह के मुख्य अतिथि आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे थे। एयर फोर्स ऑफीसर बनने के बाद सक्षम रविवार को जयपुर पहुंचेंगे। हमेशा कक्षा में टॉपर रहने वाले सक्षम रावल ने अपनी शिक्षा जयपुर में पूरी की और कोरोना काल में पिछले साल बिना कोचिंग के तैयारी करके यूपीएससी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया स्तरीय एफकैट में सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद एसएसबी का पांच दिन तक चला सघन इंटरव्यू पास करके रिकमंड हुए और वायु सेना की तीन दिन तक हुई विशेष चिकित्सा जांच में पूरी तरह फिट घोषित किए गए।

गेल, जयपुर फुट को विकलांगों के लिए उपकरण उपलब्ध कराने में सहयोग देगी

जयपुर। भारत सरकार के उपक्रम गैस एथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) विश्व प्रसिद्ध कृत्रिम अंग जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस) को विकलांगों को जयपुर फुट तथा अन्य उपकरण आदि उपलब्ध कराने के लिए सहयोग देगी।

गेल और बीएमवीएसएस के बीच एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। गेल विकलांगों के पुनर्वास के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत एक वर्ष तक 1200 विकलांगों के पुनर्वास के लिए सहयोग देगी।

गेल और बीएमवीएसएस के बीच एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर एक समारोह में हुए। इस अवसर पर गेल के मुख्य महाप्रबंधक मनीष कुमार सोगानी, गेल के सीएसआर महाप्रबंधक लक्ष्मी रमन वर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक अंजली सूद तथा बीएमवीएसएस के संस्थापक एवं मुख्य संरक्षक डी आर मेहता, सचिव भूपेन्द्र राज मेहता और डा. दीपेन्द्र मेहता तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर के अग्रवाल, डॉ. एम के माथुर, डॉ.पी के जैन, और अशोक मोहनोत उपस्थित थे।

दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट के अंतर्गत वर्ष 2022 में बीएमवीएसएस अपने मालवी नगर और सवाई मानसिंह अस्पताल स्थित केन्द्र में 950 विकलांगों को कृत्रिम पैर और कैलीपर्स आदि लगाने में सहयोग देगी। इसके अलावा 250 विकलांगों को वैसाखी उपलब्ध कराएगी। अनुबंध पर बीएमवीएसएस के सचिव भूपेन्द्र राज मेहता और गेल के सीएसआर महाप्रबंधक लक्ष्मी रमन वर्मा ने हस्ताक्षर किए। डीआर मेहता ने गेल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व में भी गेल ने 475 विकलांगों के पुर्नावास के लिए सहयोग दिया है डी आर मेहता ने कहा कि जयपुर स्थित दो केन्द्रों में गेल के सहयोग से विकलांगों के पुनर्वास का कार्य शुरु हो चुका है और यह वर्ष 2023 के मार्च तक चलेगा।

गेल और बीएमवीएसएस के बीच एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के लिये समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गेल के मुख्य महाप्रबंधक मनीष कुमार सोगानी, गेल के सीएसआर महाप्रबंधक लक्ष्मी रमन वर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक अंजली सूद तथा बीएमवीएसएस के संस्थापक एवं मुख्य संरक्षक डी.आर.मेहता, सचिव भूपेन्द्र राज मेहता और डॉ.दीपेन्द्र मेहता तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.के.अग्रवाल, डॉ.एम के माथुर, डॉ.पी के जैन और अशोक मोहनोत उपस्थित थे।

सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 26/2022 (नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री गुलाब सिंह सचिव श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति जयपुर के सम्बन्ध में न्यास दिनांक 17.01.2022 को हुए चुनाव से गठित नवीन कार्यकारणी को दर्ज अभिलेख किये जाने हेतु जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/ संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 14.6.22 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइन्दा तारीख पेशी 20.7.22
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

आम सूचना मेरे अभिभाव्यगण श्याम सुन्दर खण्डेलवाल एवं श्रीमती सरोज खण्डेलवाल निवासी प्लाट नं. 12, गुरू कॉलोनी, गोनेर रोड, जयपुर का पुत्र पंकज खण्डेलवाल पिछले 13-14 वर्षों से उनके साथ नहीं रहता है तथा मेरे अभिभाव्य के कहने, सुनने में नहीं है। इसलिये मेरा अभिभाव्यगण अपनी समस्त प्रकार की चल, अचल सम्पतियों, सामाजिक सम्बन्धों से पंकज खण्डेलवाल को बेदखल करता है, मेरे अभिभाव्य की चल अचल सम्पतियों में इसका कोई हक, अधिकार नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति/संस्था इत्यादि इससे किसी भी प्रकार का सव्यवहार करता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरे अभिभाव्यगण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
(मुकेश सैन) एडवोकेट, मो.नं. 9314563517

आम सूचना सभी जन साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री ज्ञान चन्द लालवानी पुत्र श्री भगवान दास लालवानी निवासी मकान संख्या 4, अग्रसेन बिहार कॉलोनी, चौमान स्टेडियम के पीछे, जयपुर के पुत्र कमल लालवानी का चाल चलन व आचरण सही नहीं है तथा वह मेरे मुवक्किल के कहने में नहीं है इसलिए मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र श्री कमल लालवानी को अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है जो भी व्यक्ति कमल लालवानी से कोई भी सव्यवहार या लेनदेन करेगा तो इसमें मेरे मुवक्किल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
(शमी अली) एडवोकेट, मो. नं. 9828075086

खोया पाया

दुकान नं. 29, 30 जय चामुण्डा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. का मूल आवंटन पत्र, साईड प्लान की रसीद जो कि बाबुलाल सैनी पुत्र श्री राम स्वरूप सैनी के नाम से है कहीं गुम गए मिलने पर सूचित करें। मो. 9414407030

प्लॉट नं. जी-1/53 बगरू रीको इंडस्ट्रियल एरिया फेज-।। सना इम्पैक्स के नाम से अलॉट हुआ था। वर्तमान में यह प्लॉट मैटल कर्मा रिसाईकिलिंग ने खरीद लिया है। इस फर्म के पार्टनर हिमांशु गुप्ता व अंजली खण्डेलवाल है। इस अलॉटमेंट लेटर कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें। मो. 9887122613

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम सुमन कुमारी पुत्री श्री त्रिलोका राम से बदलकर सुमन चौधरी रख लिया है। भविष्य में मतुझे इसी नाम से जाना जावें। निवासी-ग्राम ललस, तहसील नवा जिला नागौर (राज.)

मैंने अपना नाम श्याम बाबू निम से बदलकर श्याम बाबू पुत्र श्री सियाराम रख लिया है। भविष्य मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावें। मो. 9887379755

मैंने अपना नाम रामेश्वर प्रसाद रैगर से बदल कर रामेश्वर प्रसाद बिशाल रख लिया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए। रामेश्वर प्रसाद बिशाल ग्राम बाढ कल्याणपुरा ग्राम पंचायत कांकरिया (लालसोट)

मैं सुभाष चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री सतीश चन्द्र गुप्ता व उमादेवी सतीश चन्द्र गुप्ता, निवासी बी-98, शिवपुरी कॉलोनी, बुद्धसिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर अब सुभाष सतीश गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा जाता हू।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।